



F.32(21)/NHM/CSR/Telemedicine/Part-7/105

Date: 12/07/2021

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

**विषय:- ई-संजीवनी टेलीकन्सलेशन योजना के बारे में आमजन को जागरूक करने
बाबत।**

संदर्भ:- पत्र क्रमांक 55 दिनांक 09.06.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों को 'ई-संजीवनी टेलीकन्सलेशन' योजना के प्रचार-प्रसार से आमजन को जागरूक करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें। निम्न विकल्पों के द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार करावें।

1. एक मोहर "ई-संजीवनी ओपीडी टेलीकन्सलेशन सेवायें निःशुल्क हैं।" बनाकर ओपीडी पर्ची पर स्टेम्प करावें।
2. ओपीडी पंजीकरण काउन्टर, वैंटिंग एरिया, एनसीडी कक्ष आदि में योजना के डिस्प्ले/स्टेंडी/फ्लेक्स/पोस्टर लगायें।
3. लोकल न्यूज पेपर्स, टीवी चैनल एवं सोशल मीडिया में योजना की जानकारी दें।
4. स्वास्थ्य मित्र, आशा, एएनएम, CHO, एमएमयू/एमएमवी सर्विस प्रोवाइडर, RBSK, MHT, NCD काउन्सलर आदि द्वारा मरीजों एवं समुदाय में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता करावें, जिससे अधिक से अधिक मरीज घर बैठे चिकित्सीय सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें।

अधिक जानकारी हेतु वेब पेज <http://www.rajswasthya.nic.in/telecons.htm> देखें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा)
राज्य नोडल अधिकारी-आईटी

प्रतिलिपि निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य)।
3. राज्य नोडल अधिकारी, (आईडीएसपी)।
4. समस्त परियोजना निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी को योजना के अधिकाधिक उपयोग हेतु सम्बन्धित को आदेश जारी करने बाबत।
5. डॉ. नरेश पोटर, (TSU-WISH)।
6. श्री विजय सोनी, ई-संजीवनी, टेक्नीकल सपोर्ट, सी-डेक मोहाली।
7. State strategic cell / District strategic cell.

राज्य नोडल अधिकारी-आईटी